

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वै./पांच/2015/ 39274-39445

इन्दौर, दिनांक 28-09-2017

प्रति,

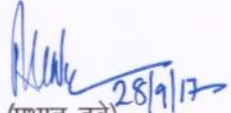
1. समस्त कलेक्टर, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा (म.प्र.)
3. उप श्रमायुक्त, भोपाल/इंदौर
4. सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर, उज्जैन, मंदसौर, सागर, सतना, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, होशंगाबाद, सिंगरौली।
5. श्रम पदाधिकारी/सहा. श्रमदाधिकारी/श्रम निरीक्षक बालाघाट, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, देवास, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, दमोह, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, बैतुल, विदिशा, मण्डीदीप(रायसेन), राजगढ़, गुना, भिण्ड, मालनपुर (भिण्ड), बुरहानपुर, धार, पीथमपुर, खरगौन, झाबुआ, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सीहोर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर।
7. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर, भोपाल।
8. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर हायजिन लेब इन्दौर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना।
9. सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मंदसौर।
10. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश)।

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2017 से न्यूनतम वेतन दरें लागू करने हेतु।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई पुनरीक्षित दरों में दो बिन्दु कम हो जाने के कारण पूर्व में 1.4.2017 को जारी दरे यथावत रखी गई जो कि 01.10.2017 से प्रभावशील होगी।

उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mp.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(प्रभात दुबे)
अपर श्रमआयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर



श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01/10/2017 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.labour.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक
01 / 10 / 2017
से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67
नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 01-13
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 14
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 15-17
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 18-25
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 26-32
अन्य	पृष्ठ क. 33-34

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 1/11/अन्वे/पांच/2015 37/92-493

इंदौर, दिनांक 28-9-17

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं शोभित जैन, श्रमायुक्त एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी 2017 से जून 2017 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	274
फरवरी	274
मार्च	275
अप्रैल	277
मई	278
जून	280
(औसत)	1658÷6=276

तथा इनका औसत 276 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 1.10.2017 से 31.03.2018 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ कमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

(शोभित जैन)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर
एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र क.41 दिनांक 10.10.2014 (पृष्ठ क्रमांक 358 से 400) में प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. दिनांक 29.9.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 (पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671) में प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. दिनांक 22.5.2015 के अनुसार राज्य के कतिपय श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./ पांच/2015/ ~~37192-493~~ दिनांक ~~28-09-2017~~ के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 276 रहा है, जिसके कारण गत छः माही अर्थात जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 278 से $(278-276)=02$ औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) के प्रावधानों के अनुपालन में 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पूर्व में अर्थात दिनांक 1.4.2017 को जारी दरे संलग्न अनुसूची अ.ब.स के अनुसार यथावत रखी जाती है जो दिनांक 1.10.2017 से 31.03.2018 तक देय होगी।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये संलग्न अनुसूची "क" के अनुसार पूर्ववत निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है।

(श्रीभित्त जैन)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर
एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

67 अनुसूचित निगोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन

(दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक)
(दिनांक 1.10.2017 से 31.3.2018 तक पूर्व में 01.04.2017 में जारी दरे यथावत है)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00	अकुशल	6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00
7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	कुशल	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00

—Ինչպիսիք—

- संपर्क जानकारी—**
- (1) मजदूरी निर्धारण में कैसे तथा रूपरेखा के मुद्दों को संकलित रूप में प्रमाणित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
उत्सर्ग अधिक पैसे हो तो, उन्हें आलेखन रूप में प्रमाणित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिफाला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्षा मूल्य सूचकांक 253(2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्षा मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्धनीय शीर्षक मंडाई मल्ला घाघित किया जावेगा।
- (3) उपमोक्षा मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संयोजित की गई है। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू होगी। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.6.2016 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर श्रमिकों के वार्षिकरण को अद्यतन किया गया है। (सूची संलग्न)
- इस प्रकार अधिवृद्धित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं आयेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दरें उससे समकक्ष नहीं होती जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(श्रीमद् जैन)

श्रम आयुक्ता, मध्य प्रदेश, इंदौर

टीप :- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें
वेतन निर्धारित है**

भाग-एक

क्र.	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिर्नींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माणा में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है / में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन

33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि., 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान (पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35.	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36.	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39.	किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40.	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेज में नियोजन
41.	किसी बेकरी में नियोजन
42.	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43.	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44.	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45.	किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन
46.	किसी क्लब में नियोजन
47.	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48.	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49.	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50.	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51.	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52.	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53.	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54.	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55.	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57.	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58.	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59.	किसी होजयरी में नियोजन
60.	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेन्ट भी शामिल है) में नियोजन
61.	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62.	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
63.	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64.	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65.	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66.	किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68.	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70.	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71.	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72.	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग-दो

1.	कृषि में नियोजन
----	-----------------

(सोमिन्द्र जैन)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं। वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो

इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले

कर्मचारी को देय है।

3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-

(क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

(ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।

(ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।

(घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

(4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।

- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनो में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(शीमित जैन)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिंती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़नेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंसड वेन्डर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूँथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेन्डेन्ट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहर्रर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, गेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलर मैन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमेन, सहायक सेल्समैन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूँथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा. सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, ई.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक्कुरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेन्ट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन मिल, फिक्शन,

किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्सटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मॅसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडारुनकीपर, फिटर, बायलर अटेण्डेंट, टर्नर, मोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिंकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मेकर, हैमरमेन, ग्रासर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेण्डेंट मोटरमेन, भट्ठी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंप्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेण्डर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओ.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारिगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीनडोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवांयजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मैकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन/भट्ठी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खींचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गाईड सुपरवाइजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल:-

मेडिकल एवं इंजिनियर स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर आपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कंसलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सांईटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशल:-

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट प्रिंटिंग आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईंडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायविलनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

(प्रामित जैन)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

अनुसूची -ब

किसी स्लैट वेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राजपण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राजपण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन

(दिनांक 01.4.2017 से 30.09.2017 तक) (दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व दि. 01.4.2017 से जारी दरें यथावत है)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10155.00	390.	925.00	35.58	11080.00	426.15	426.00	कटर्स	10155.00	390.	925.00	35.58	11080.00	426.15	426.00
9522.00	366.	925.	35.58	10447.00	401.82	402.00	रोलर्स, मिस्त्री, पाईटर्स	9522.00	366.	925.	35.58	10447.00	401.82	402.00
6705.00	257.	925.	35.58	7630.00	293.46	293.00	पेकर, पट्टीपेकर, सीपर	6705.00	257.	925.	35.58	7630.00	293.46	293.00
8435.00	324.	925.	35.58	9360.00	360.00	360.00	मुनीम, लेखाकार, बलर्क आदि	8435.00	324.	925.	35.58	9360.00	360.00	360.00
6500.00	250.	625.	24.07	7125.00	274.07	274.00	मजदूर	6500.00	250.	625.	24.07	7125.00	274.07	274.00
9735.00	374.	925.	35.58	10660.00	410.00	410.00	उच्च कुशल	9735.00	374.	925.	35.58	10660.00	410.00	410.00
	42	00						42	00					

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राजपण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(श्रीमति जैन)
श्रम आशुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुसूची -स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिदिन

(दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक)

दिनांक 1.10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व दि. 1.4.2017 से जारी दरें यथावत है)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लिपिकिय वर्ग														
8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	श्रेणी एक,	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00
							कुशल श्रेणी							
9685.00	372.50	925.00	35.58	10610.00	408.08	408.00	श्रेणी एक	9685.00	372.50	925.00	35.58	10610.00	408.08	408.00
9378.00	360.69	925.00	35.58	10303.00	396.27	396.00	श्रेणी दो	9378.00	360.69	925.00	35.58	10303.00	396.27	396.00
8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	श्रेणी तीन	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
							अर्धकुशल श्रमिक							
8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00	अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिपला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी प्रविष्टि हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(श्रीमति जैन)

श्रीम. आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची -क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	कर्म-चारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन						
(दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	216.66	625.00	20.83	7125.00	237.50	238.00	अकुशल	6500.00	216.66	625.00	20.83	7125.00	237.50	238.00
7057.00	235.23	925.00	30.83	7982.00	266.10	266.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	925.00	30.83	7982.00	266.10	266.00
8435.00	281.16	925.00	30.83	9360.00	312.00	312.00	कुशल	8435.00	281.16	925.00	30.83	9360.00	312.00	312.00
9735.00	324.50	925.00	30.83	10660.00	355.33	355.00	उच्च कुशल	9735.00	324.50	925.00	30.83	10660.00	355.33	355.00

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपमोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(श्रीमति जैन)
श्रीमि आयुक्त,
मध्यप्रदेशी, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/37493-792,

इन्दौर, दिनांक
28-9-17

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं शोभित जैन, श्रमायुक्त एतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी 2017 से जून 2017 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी	870
फरवरी	869
मार्च	866
अप्रैल	870
मई	872
जून	877
(औसत सूचकांक)	$5224 \div 6 = 871$

तथा इनका औसत 871 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा 1.10.2017 से 31.03.2018 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

(शोभित जैन)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/10/2017 से 31/03/2018 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

पूर्व में जारी दिनांक 1.04.2017 दरे यथावत

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वे./पांच./2015/37493-792 दिनांक 28-09-2017 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 871 रहा है। गत छः माही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 876 के नीचे (871-876)=5 औसत बिन्दुओं की कमी हुई है तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित देय वेतन (30 दिन के मान से) पूर्व में दिनांक 01.04.2017 से जारी दरे यथावत रखी जा रही है। जो कि दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है। (अनुसूची द)

अनुसूची -द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें
------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	-----------------------------------

प्रतिमाह प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिदिन

(दिनांक 1.04.2017 से 30.09.2017 तक) (दिनांक 1.10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व दि. 1.04.2017 से जारी दरें यथावत हैं)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	648.00	21.60	5998.00	199.93	200.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	648.00	21.60	5998.00	199.93	200.00

स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87 =100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छ: रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ: माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(अभिमत जैन)

श्रीम आर्युक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/37793-38092

इंदौर, दिनांक 028-9-17

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मै शोभित जैन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ

माह/वर्ष 2016	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी 2016	6140.17
2. फरवरी 2016	6094.52
3. मार्च 2016	6117.34
4. अप्रैल 2016	6185.82
5. मई 2016	6277.12
6. जून 2016	6322.77
7. जुलाई, 2016	6391.25
8. अगस्त, 2016	6345.60
9. सितंबर, 2016	6322.77
10. अक्टूबर 2016	6345.60
11. नवम्बर, 2016	6322.77
12. दिसंबर, 2016	6277.12
(औसत)	$75142.85 \div 12 = 6262$

तथा उक्तानुसार इनका औसत 6262 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2018 तक देय रहेगा।

(शोभित जैन)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर तथा

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 1.01.2017 से 31.12.2017 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/37793-38092 दिनांक 28-09-2017 के अनुसार जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6262 रहा है, इस तरह जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (6262-5967=295) 295 अंकों की वृद्धि हुई है तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (6262-5299=963 पाइंट) 963 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 9.63 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2018 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1.	2.	3.	4.
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु 74.00	रु. 9.63	रु. 83.63 किंतु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 83.63 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.31) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.18) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.38) इस प्रकार कुल रुपये 103.50 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 16.76 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 8.38 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 86.74 प्रति हजार बीड़ी देय होगी

2. रिलाई श्रमिक

अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रूपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रूपये 62.02
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रूपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रूपये 65.89

ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली लेबल लगाना	रूपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति दो हजार	रूपये 55.58
2. झिल्ली लगाना	रूपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	03 पैसे प्रति चार हजार	रूपये 40.76
3. लेबल लगाना	रूपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रूपये 15.25
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रूपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	02 पैसे प्रति आठ हजार	रूपये 15.25

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रूपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 231.16
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 252.11
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	4 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर	रूपये 252.11

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्धकुशल:- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोईया, ड्रायवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क
- 3- अकुशल ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार

**Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
effective from 01/4/2017 to 31/03/2018**

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2017

01.	Basic Wage	74.00
02.	Variable Dearness Allowance	9.63
03.	Leave with Salary (@5% of total wages)	4.18
04.	Total Wages	87.81
05.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	7.31
06.	P.F. contribution of employer (@10% of total wages)	8.38
07.	Total wages + Bonus + PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	103.50 8.38
08.	Total Wages + Bonus	95.12
09.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages) (-)	8.38
10.	Net Payable to Beedi Roller	86.74


(Shobhit Jain)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 38093-392,
दिनांक

इंदौर, दि. 028-9-17

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मै ,शोभित जैन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2017 से जून 2017 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	274
फरवरी	274
मार्च	275
अप्रैल	277
मई	278
जून	280
(औसत)	$1658 \div 6 = 276$

तथा उक्तानुसार इनका औसत 276 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01/10/2017 से 31/03/2018 तक देय रहेगा।

(शोभित जैन)
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर तथा
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
केअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 3/11/अ/पांच/15/38093-392 दिनांक 28-09-2017 के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 276 रहा है, जिसके कारण गत छः माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 278 से नीचे $(278-276)=2$ औसत बिन्दुओं की कमी हुई है तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए) के अनुपालन में बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो कि दिनांक 1.4.2017 को जारी किया गया था, को यथावत रखा जाता है जो कि दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक निम्नानुसार देय है :

(पूर्व में दिनांक 1.4.2017 से जारी दरे यथावत रखी जाती है)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	5075.00	195.00	975.00	37.50	6050.00	232.69	233.00
2	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	975.00	37.50	5920.00	227.69	228.00
3	ड्रायव्हर (चालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क	5225.00	200.96	975.00	37.50	6200.00	238.46	238.00

स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
4. निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(सोमिit जैन)
श्रम आयुक्ता, मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/ 38393-692,

इंदौर, दिनांक 28-9-17

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं शोभित जैन, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी 2017 से जून 2017 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ।

माह/वर्ष 2017	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	274
फरवरी	274
मार्च	275
अप्रैल	277
मई	278
जून	280
(औसत)	$1658 \div 6 = 276$

अतः विगत छः माही का औसत 276 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.10.2017 से 31.03.2018 तक देय है।

(शोभित जैन)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरो के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे. /पांच/2015/ ~~38393-692~~ दिनांक ~~28-09-2017~~ के अनुसार, जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 276 रहा है जिस कारण गत छः माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 278 से (278-276)=02 औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए) के अनुपालन में अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की पूर्व दि. 1.4.2017 से जारी दरें यथावत रखी जाती है जो कि दिनांक 01/04/2017 से 30/09/2017 तक देय है।

अनुसूची एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें
1.4.2017 में जारी दरें यथावत रखी जाती है

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
		(रु. 9.25)	
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	रु. 21.40	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 30.65
		(रु. 9.25)	
ब. सुगंधित (सेंटेड)	रु. 22.00	100 पैसा प्रति 4 हजार (25 पैसा प्रति बिंदु)	रुपये 31.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना

1.4.2027 में जारी दरे यथावत

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

				रु. पैसे
			(रु. 7.40)	
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 20.48	100 पैसा प्रति 500	27.88
			(रु.7.40)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	28.74
			(रु. 7.40)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	28.74
			(रु.9.25)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 27.23	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु)	36.48
			(रु. 12.21)	
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 36.58	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	48.79
			(रु. 14.80)	
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 41.54	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु)	56.34
			(रु. 14.80)	
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 43.12	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु)	57.92
			(रु. 18.50)	
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 52.76	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु)	71.26

सिलोफेन या जिलेटन के

			(रु.7.40)	
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 21.34	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	28.74
			(रु. 7.50)	
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 26.60	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु)	34.10
			(रु. 12.21)	
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 33.00	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	45.21

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 34.48	(रु. 12.21) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	46.69
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 37.03	(रु. 12.21) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिंदु)	49.24
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 43.12	(रु. 14.80) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिंदु)	57.92
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 51.00	(रु. 14.80) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु)	65.80
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 54.47	(रु. 18.50) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिंदु)	72.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 16.98	(रु. 6.29) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	रु. पै. 23.27
2. 12 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 17.80	(रु. 6.29) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिंदु)	24.09
3. 23 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 21.30	(रु.7.40) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	28.70
4. 50 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 22.19	(रु.7.40) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिंदु)	29.59

5. 100 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 26.60	(रु. 9.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु)	35.85
6. 200 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	रु. 28.70	(रु. 9.25) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिंदु)	37.95

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना:

1. 5 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु. 1.48) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिंदु)	5.33
2. 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु.1.85) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिंदु)	6.29
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु. 2.59) 100 पैसा प्रति 1500 (7 पैसा प्रति बिंदु)	38.93

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

01.10 2017 से 31.03.2018 तक दि. 1.4.2017 से जारी दरे यथावत हैं

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूलवेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप दैनिक दरें	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	
2	टाईपिस्ट, क्लर्क	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	306.58	307.00	
3	मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाला	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00	
4	पेटी भरनेवाला, मसाला तोलने वाला	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	306.58	307.00	
5	पुडा बनाने वाला मसाला भरने वाला, भृत्य, चौकीदार	5939.00	228.42	925.00	35.58	6864.00	263.58	264.00	

नोट:— अगरबत्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही. डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(अभिमत जैन)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्वे./पांच/2015/38693-992
प्रतिलिपि:-

इंदौर, दिनांक 28-9-17,

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर ;मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.
32. संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .

36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

(श्रीप्रभत जैन)
 आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक: 6/11/अन्वेषण/पांच/2015/39074-39273

इन्दौर, दिनांक 28-09-2017

अधिसूचना

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य श्रमिकों के लिए दिनांक 01/10/2017 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क. एफ 4(सी)1-2013/अ-16. के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71, एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को समाविष्ट करते हुए दिनांक 01/10/2017 से 31/03/2018 तक प्रभावशील की गई है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी से जून 2017 की छः माही के औसत में कोई भी वृद्धि नहीं होने के कारण 01.04.2017 को जारी दरों के अनुरूप निम्नानुसार यथावत् रहेगी।-

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है
(आंकड़े रूपयों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
कुशल	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00

अनुसूची-ब

किसी स्लैट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है
(आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
कटर्स	10155.00	390.57	925.00	35.58	11080.00	426.15	426.00
रोलर्स, मिस्ट्री, पाईटर्स	9522.00	366.23	925.00	35.58	10447.00	401.82	402.00
पेकर, पट्टीपेकर, सीपर	6705.00	257.88	925.00	35.58	7630.00	293.46	293.00
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
मजदूर	6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00

अविरत...2



अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है।
(आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
श्रेणी एक,	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	925.00	35.58	10660.00	410.00	410.00
कुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	925.00	35.58	10610.00	408.08	408.00
श्रेणी दो	9378.00	361.69	925.00	35.58	10303.00	396.27	396.00
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
अर्धकुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	925.00	35.58	9360.00	360.00	360.00
श्रेणी दो	7057.00	271.42	925.00	35.58	7982.00	307.00	307.00
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	625.00	24.07	7125.00	274.07	274.00

अनुसूची "क"
मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिकवेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)
(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	625.00	20.83	7125.00	237.50	238.00
अर्धकुशल	7057.00	235.23	925.00	30.83	7982.00	266.10	266.00
कुशल	8435.00	281.16	925.00	30.83	9360.00	312.33	312.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	925.00	30.83	10660.00	355.33	355.00

कृषि नियोजन (आंकड़े रूपयों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्ड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.33	648.00	21.60	5998.00	199.93	200.00

अनुसूची (ई)
बीड़ी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु.74.00	रु.9.63	रु.83.63



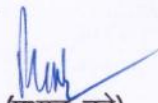
1000 बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रु. 83.63 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.31) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (रु. 4.18) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (8.38) इस प्रकार कुल रु. 103.50 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिक का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रु. 16.76 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दि. 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि में श्रमिकों भविष्य निधि कटौती के उपरांत शुद्ध राशि रु. 86.74 देय होगी।

**अनुसूची (एफ)
अगरबत्ती नियोजन
1.4.2017 में जारी दरे यथावत**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरे	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण अगरबत्ती	रु. 21.40	9.25	30.65
सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	9.25	31.25

स्पष्टीकरण

1. म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांक को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनु रूप प्रतिदिन रुपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई है।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।
3. स्पष्टीकरण:- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई है।
4. माह जनवरी से जून 2017 के मध्य लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में गत छः माही के औसत से कमी आयी है तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए) के प्रावधानों के अनुसार चूँकि अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी, इस आधार पर दिनांक 01 अप्रैल 2017 से जारी न्यूनतम वेतन की दरें ही यथावत रखी जा रही है।


(प्रभात दुबे)
अपर श्रमआयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर